भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 135

सोमवार, 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण

135. श्री तंगेला उदय श्रीनिवास:
डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में चल रहे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरणों (सीजीआईटी) की कुल संख्या कितनी है और उक्त अधिकरणों के स्थान और अधिकार-क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक सीजीआईटी में पीठासीन अधिकारियों सहित प्रमुख पदों की स्वीकृत संख्या कितनी है और उक्त पदों पर कितनी रिक्तियां हैं;

(ग) प्रत्येक अधिकरण में उक्त पद, विशेषकर पीठासीन अधिकारियों के पद, कितने समय से रिक्त हैं;

(घ) प्रत्येक सीजीआईटी के समक्ष मामले के प्रकार या प्रकृति के अनुसार वर्गीकृत लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है;

(ङ) सरकार द्वारा उक्त रिक्तियों को भरने और लंबित मामलों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यह प्रावधान है कि अधिकरण या श्रम न्यायालय को भेजे गए औद्योगिक विवादों का निपटारा छह महीने के भीतर किया जाना चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक सीजीआईटी में मामलों के निपटान में लगने वाला औसत समय कितना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (छ): देश में 22 केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्याधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) हैं और सभी कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक सीजीआईटी-सह-एलसी का स्थान और अधिकार क्षेत्र क्रमशः https://cgit.labour.gov.in/whos-who और http://cgit.labour.gov.in/jurisdiction लिंक पर उपलब्ध है।

जारी..2/-

प्रत्येक सीजीआईटी-सह-एलसी में पीठासीन अधिकारियों की स्वीकृत संख्या अनुबंध-I में दी गई है। 22 सीजीआईटी-सह-एलसी में से 8 सीजीआईटी-सह-एलसी यथा मुंबई-I, एर्नाकुलम, चेन्नई, अहमदाबाद, धनबाद-I, धनबाद-II, कानपुर और दिल्ली-I में पीठासीन अधिकारियों का पद रिक्त है। पीठासीन अधिकारी के पद को भरना एक सतत प्रक्रिया है और यह भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, न्याधिकारण के कामकाज को जारी रखने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों के लिए अतिरिक्त प्रभार अन्य सीजीआईटी-सह-एलसी के पीठासीन अधिकारियों को सौंपा जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 और कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत प्रत्येक सीजीआईटी-सह-एलसी के समक्ष लंबित मामलों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने और लंबित मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) रिक्तियों के संबंध में परिपत्र पहले ही जारी कर दिए गए हैं तथा एससीएससी की नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं;
(ii) निरंतरता बनाए रखने के लिए पीठासीन अधिकारी के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अन्य सीजीआईटी-सह-एलसी के पीठासीन अधिकारी को दिया जा रहा है;
(iii) अन्य सीधी भर्ती वाले रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित भर्ती एजेंसियों को नियमित रूप से मांगपत्र भेजा जाता है;
(iv) निपटान मामलों की मॉनीटरिंग हर महीने की जाती है;
(v) पीठासीन अधिकारियों को नियमित रूप से कैंप कोर्ट आयोजित करने होते हैं।

मामलों के निपटान की समय-सीमा के संदर्भ में, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10(2ए) में यह उपबंध है कि जहां औद्योगिक विवाद किसी एक कामगार से जुड़ा हो, तो यह अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होगी, साथ ही यह भी शर्त होगी कि जहां औद्योगिक विवाद के पक्ष, निर्धारित तरीके से, चाहे संयुक्त रूप से या अलग-अलग, ऐसी अवधि के विस्तार के लिए या किसी अन्य कारण से श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल में आवेदन करते हैं, और ऐसे श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी अवधि को बढ़ाना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसी अवधि को ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकता है, जिसे वह ठीक समझे। औद्योगिक विवाद अधिनियम के लिए लिंक है

https://labour.gov.in/sites/default/files/id_act_1947.pdf

मामलों के निपटान के लिए औसत समय से संबंधित जानकारी मंत्रालय में केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

** *****

अनुबंध-I

"केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण" की स्थिति पर माननीय सांसद श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) में पीठासीन अधिकारी की स्वीकृत संख्या

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	अहमदाबाद	**01**
2.	आसनसोल	**01**
3.	बैंगलोर	**01**
4.	भुवनेश्वर	**01**
5.	चंडीगढ़-I	**01**
6.	चंडीगढ़-II	**01**
7.	चेन्नई	**01**
8.	दिल्ली-I	**01**
9.	दिल्ली-II	**01**
10.	धनबाद-I	**01**
11.	धनबाद-II	**01**
12.	एर्नाकुलम	**01**
13.	गुवाहाटी	**01**
14.	हैदराबाद	**01**
15.	जबलपुर	**01**
16.	जयपुर	**01**
17.	कानपुर	**01**
18.	कोलकाता	**01**
19.	लखनऊ	**01**
20.	मुंबई-I	**01**
21.	मुंबई-II	**01**
22.	नागपुर	**01**
कुल		**22**

अनुबंध- II

"केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण" की स्थिति पर माननीय सांसद श्री तंगेला उदय श्रीनिवास और डॉ. बायरेड्डी शबरी द्वारा दिनांक 03.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 135 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 31.12.2024 तक प्रत्येक केंद्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (सीजीआईटी-सह-एलसी) में लंबित मामलों की संख्या

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी का नाम	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत		कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत	
		मामले	आवेदन	अपील	आवेदन
1	अहमदाबाद	1608	671	404	6
2	आसनसोल	259	9	11	0
3	बैंगलोर	385	364	395	415
4	भुवनेश्वर	612	335	122	0
5	चंडीगढ़ I	743	385	384	48
6	चंडीगढ़ II	598	64	158	72
7	चेन्नई	582	167	1927	0
8	धनबाद I	811	109	78	0
9	धनबाद II	661	26	189	0
10	एर्नाकुलम	367	68	613	0
11	गुवाहाटी	95	21	8	1
12	हैदराबाद	897	115	440	0
13	जबलपुर	703	81	403	11
14	जयपुर	453	36	247	0
15	कानपुर	1066	164	229	0
16	कोलकाता	252	81	112	0
17	लखनऊ	533	59	282	5
18	मुंबई I	358	337	460	3
19	मुंबई II	641	612	962	4

क्र. सं.	सीजीआईटी-सह-एलसी का नाम	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत		कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत	
		मामले	आवेदन	अपील	आवेदन
20	नागपुर	557	1	443	36
21	नई दिल्ली I	2193	8994	576	0
22	नई दिल्ली II	1267	36	131	0
कुल		15641	12735	8574	601

** ******